UPBS120001412021

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (ATUL KUMAR NAYAK),

(उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP02289

मूलवाद सं० 118/2021

श्रीमती सय्यदा खातून बनाम कलामुद्दीन आदि

25.02.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र 6 ग 2 पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादिनी द्वारा विवादित भूमि अक्षरान ए,बी,सी,डी प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र स्थित गाटा सं० 59 के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा की याचना की गयी है। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में सबूत सूची कागज सं० 10 ग 1 द्वारा नकल खतौनी कागज सं० 11 ग 1, नकल खसरा कागज सं० 12 ग 1, दाखिल किया गया है। खसरा एवं खतौनी में विवादित भूमि गाटा सं० 59 वादिनी के नाम दर्ज है, परन्तु विवादित भूमि के सम्बन्ध में राजस्व मानचित्र दाखिल नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को बिना सुने एकपक्षीय आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादिनी पैरवी अन्दर तीन दिवस करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 6 ग२ दिनांक–10.03.2021 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान–बस्ती।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 8 ग२

वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र कागज सं० 8 ग 2 प्रतिवादीगण पर नोटिस का तामीला जरिए विशेष वाहक कराये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अन्दर तीन दिवस करे।

सिविल जज (जू०डि०)
खलीलाबाद स्थान– बस्ती।

Digitally signed by Atul Kumar Nayak
Date: 2021.02.25 16:26:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court